

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-1188/छिहतर-1-2020-3 शिकायत/2020

प्रेषक

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक २१ मई, 2021

विषय: भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त ग्रामीण बस्तियों को पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जल जीवन मिशन-"हर घर जल" के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त ग्रामीण बस्तियों को पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराये जाने हेतु "इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी" (आई०एस०ए०) के दायित्वों/गतिविधियों एवं इनके कार्यों के अनुश्रवण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-03/2021/ 423/छिहतर-1-2021-03 शिकायत/2020 दिनांक 05.02.2021 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 05.02.2021 के प्रस्तर-3 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जनपद हेतु सूचीबद्ध इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों को 40-40 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर आवंटित करते हुए अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा।

2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय जनपदों में क्लस्टर का आवंटन ग्राम पंचायतवार न करते हुए राजस्व ग्रामवार किया जा रहा है एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के समस्त राजस्व ग्रामों को क्लस्टर में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति आर०एफ०पी० एवं अनुबन्ध के प्राविधानों के विपरीत है।

3- अतएव उक्त के क्रम में इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों को क्लस्टर आवंटित करते समय 40 ग्राम पंचायतों के समस्त राजस्व ग्रामों को आवंटित किया जाए। इसी प्रकार जनपद में पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु सूचीबद्ध एजेंसियों को भी ग्राम पंचायत के अन्तर्गत सम्मिलित समस्त राजस्व ग्रामों की सूची उपलब्ध कराई जाए, ताकि ग्राम पंचायत में सम्मिलित समस्त राजस्व ग्रामों में इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों द्वारा सम्पूर्ण गतिविधियां संचालित की जा सकें।

4- अतः जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश की सभी ग्रामीण बस्तियों को पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के परिपेक्ष्य में उक्तानुसार समस्त कार्यवाहियां त्वरित गति से सम्पादित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Digitized by eGangotri
Date: Thu May 20 17:34:00 2021
Reason: Approval

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

134-

File No.76-1099/64/2021-1-

संख्या:1188(1)/छिहत्तर-1-2020-3 शिकायत/2020, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, उ०प्र० लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5. गार्डबुक।

आज्ञा से,
डा० अम्बरीष कुमार सिंह
उप सचिव।